



संस्थापक के लोगो

विद्युत वितरण खण्ड

राजिनाथल विद्युत वितरण निगम लि०
राजापुर चित्रकूट

संख्या: 1714

/विद्युत/

दिनांक:

07.07.2023

विद्युत-विद्युत नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु (टी०सी०)

पृष्ठ सं.

श्री RAM DASH अथवा श्री KAMTA PRASAD ग्राम BALAPUR KHALSH ब्लॉक PAHADI

आपके कनेक्शन का दिनांक: 30.06.2023-1008297907 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको नलकूप के लिए 04.07.2023

आपको नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु 120 घण्टों की स्वीकृति दिनांक 04.07.2023

1. नलकूप कनेक्शन कार्य का मूल्य	68000.00		
2. श्रम	0.00		
3. नलकूप के साथ 500 घण्टों की नलकूप मरम्मत	0.00	पंखा बरती रु०	0.00
4. श्रम शुल्क	2921.00		
5. मूल्य	0.00		
6. कुल मूल्य	70921.00		

7. आपको नलकूप के कनेक्शन देने हेतु रु० _____ का व्यय भार निगम को वहन करना होगा जबकि निगम द्वारा इस मद से रु० _____ की रकम वापस की गयी है।

8. आपको कनेक्शन के लिए निगम द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन पडने के कारण रु० _____ का अधिक धन जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

9. मीटर निर्माण शुल्क को सततकीय कोष में 0043 विद्युत पर एवं शुल्क व 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क के अन्तर्गत रु० 5500 जमा करना होगा।

10. आपको आपके कनेक्शन के लिए स्वयं विद्युत भंडार केंद्र चित्रकूट से अपने वहन द्वारा समान की बुलाई करनी होगी समान बुलाई के साथ स्वयं के व्यय पर लाइन निर्माण करना होगा।

11. आपको अपना पत्र हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईंट बालू तथा सिमेन्ट का प्रबन्ध करना पडता है अतः उसी में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा आपनी लाइन व कनेक्शन हेतु ही देय लेनी।

12. कनेक्शन हेतु लाइन व स्टेशन बनाने में जो नजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा।

नोट (1) कोष्ठ 6.7 तथा 6 के अन्तर्गत आपके द्वारा किए जाने वाले खर्च को आपके इस्टीमेट से कम कर दिया गया है तथा वह शत

(2) सिमेन्ट बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे तथा ऐंगिल नल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिनकी मात्रा

प्रति खम्भा _____ सिमेन्ट 0.8 बोरी बालू 3 घन फीट गिट्टी 6 घन फीट

प्रति स्टेशन _____ सिमेन्ट 0.3 बोरी बालू 1.5 घन फीट गिट्टी 3 घन फीट

(3) आपके कार्य करने के लिए _____ मजदूरी की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखित शर्तें मान्य हों तो आप कृपया किसी दिवस में 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर तक दो गवाहों सहित इस कार्यालय में पधारकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।

1. नम नुदितियत 100/- रु० का जनरल स्टाम्प तथा 1/- रु० का रसीदी टिकट (Revenue Stamp)

2. ऊपर लिखी शर्तें जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्ज के रूपये की रसीद की छायाप्रति। 3. एक फोटो इन्वॉयट 4. निवास प्रमाण-पत्र

आपके कनेक्शन को बिजली तनी टी जायेगी जब आपका वायरिंग पूरा होगा और बी०एल०फार्म० और मीटर डिक्लेशन फार्म (मीटर सुधारने के लिए ट्रेजरी चालान सहित) अधिशाही/जूनियर इंजीनियर के अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा उनकी रसीद प्राप्त कर लें। यदि आप उपरोक्त शर्तें

इस पत्र के 30 दिनों के बाद पूरा नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं और प्रकरण शुल्क 100/- रु० भी जब्त हो जायेगा।

अधिशाही अभियन्ता

पत्रांक: प्रतिलिपी- आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड/ग्रामीण उपखण्ड _____
2. खण्ड विकास अधिकारी _____
3. जिला विकास अधिकारी _____
4. अनुबन्ध लिपिक सि०/सि० खण्ड _____

अधिशाही अभियन्ता